कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला आगर मालवा

क्रमांक / एस.डब्ल्यू / 2020 / 287 आगर दिनांक 29.04.20

-:: आदेश ::-

मध्यपदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक /एफ 10–20/ 2020 / 17 मेडी–2 भोपाल दिनांक 07 मार्च 2020 के परिपेक्ष में म.प्र. पब्लिकहेल्थ एक्ट 1949 अन्तर्गत नोवेल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है । इसके संबंध में इस कार्यालय से भी समय समय पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है । संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक / आईडीएसपी/ 2020!/ 272 भोपाल दिनांक 24.03.2020 एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस COVID-19 महामारी की रोकथाम हेतु कन्टेनमेंट प्लान जारी किया गया है ।

म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्र/ प्र.स./ स्वास/ सत्रह/ मेडी–3 /596 भोपाल दिनांक 23 मार्च 2020 द्वारा म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के Secton 71 (1) एवं 71 (2) में निहित शक्तियों का उपयोग कर निम्नानुसार आदेश पारित करता हुं :–

1. आगर मालवा जिले की तहसील बडोद के शहरी क्षेत्र में पाये गये COVID-19 संक्रमित पोजिटिव केस के घरो की जानकारी निम्नानुसार है :–

स.क्र.	पता
01	आलोट रोड, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पास, बडोद

. इन घरो को Epicenter घोषित करते हुए इन घरो के 0.5 कि.मी. की परिधी में आने वाले क्षेत्र को **कन्टेनमेंट एरिया** घोषित किया जाता है । ("Containment Area" is defined as marking of first contact areas of the reported " Positive case") इस क्षेत्र के समस्त घरो का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्यतः किया जावेगा । इससे लगे 01 कि.मी. की परिधी के अतिरिक्त क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया जाता है।

3. कोरोना महामारी की रोकथाम एवं समुचित प्रबंधन हेतु म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी The Epidemic Diseases COVID-19 Regulation 2020 अन्तर्गत उक्त कन्टेमेंट ऐरिया के सर्विलेंस हेतु निम्नानुसार दल गठन करता हूं :–

क्षेत्र	इंसीडेंट कमाण्डर	पुलिस अधिकारी	नगर पालिका अधिकारी
आलोट रोड, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पास, बडोद	श्री महेन्द्र सिंह कवचे SDM अनुभाग आगर–बडोद 9424751331	सुश्री ज्योति उमठ SDOP आगर 9479998405	श्री अशफाक खॉन मुख्य नगर पालिका अधिकारी बडोद 9425083515

कन्टेनमेंट ऐरिया

1. कन्टेनमेट ऐरिया के अन्तर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा । कन्टेनमेंट ऐरिया के समस्त निवासियों का होम कोरेंटाईन में रहना उचित होगा । पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश के माध्यम से जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है उसका सही तरीके से क्रियान्वयन हो सकेगा अतः कन्टेंमेंट ऐरिया के अन्दर भी आवागमन प्रतिबंधित रहेगा ।
2. कन्टेनमेंट ऐरिया एवं बफर जोन के बाहर के शेष नगरीय क्षैत्र को पेरीमीटर कन्ट्रोल किया जाना होगा जिसके अन्तर्गत आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से लोगो का बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा ।
3. कन्टेनमेंट ऐरिया हेतु C.M.H.O. द्वारा विशेष आर.आर.टी. जिसके अन्तर्गत 01 फिजीशियन, 01 एपीडिमियोलारिट, पैथालाजिस्ट, माक्रोबायोलाजिस्ट, डाक्यूमेंटेशन स्टाफ रखा जाना होगा व मेडीकल मोबाईल यूनिट

Scanned with CamScanner

जिसके अन्तर्गत 01 मेडीकल आफिसर, 01 पेरा मेडीकल स्टाफ, लैब टेक्निशियन व डाक्यूमेंटेशन स्टाफ का गठन किया जायेगा ।

4. उक्त क्षैत्र के एक्जिट पाईंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत् स्क्रेनिंग की जायेगी ।

5. समस्त वार्डवार फ्रंटलाईन स्वास्थ्य कार्यकर्ता – एलएचवी, ए.एन.एम, आशा, आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सुपरवाईजर (एम.पी.डब्ल्यू–टीवी एच व्ही) टीम वाईस ए.पी. सेन्टर प्रति टीम 50 घरो का भ्रमण कर जानकारी लेते हुए निर्धारित प्रोफार्मा – 2 में रिपोर्ट आई.डी.एस.पी. नोडल आफिसर को अनिवार्यतः उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. समस्त टीम COVID-19 सस्पेक्टेड केस की मानिटरिंग प्रतिदिन करेंगे एवं COVID-19 संक्रमण के सम्भावित लक्षण जैसे बुखार, खांसी, गले में दर्द एवं सांस लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर आर.आर. टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे ।

7. समस्त COVID-19 संक्रमण के पाजिटीव केस के परिजन, निकट सम्पर्क को होम कोरेन्टाईन कराया जाना आति आवश्यक है जिससे संक्रमण को समुदाय में फेलने से रोका जा सके ।

8. जिनको होम कोरेन्टाईन किया गया है उनका प्रतिदिन फॉलोअप लेना होगा – (विजिट अथवा दूरभाष के माध्यम से) जब तक कि सस्पेक्टेड केस का रिजल्ट निगेटिव ना आ जाये, और यदि रिजल्ट पाजिटिव आता है तो, संबंधित के TRUE कान्टेक्ट को 14 दिन तक होम कोरेन्टाईन में रखना होगा एवं फॉलोअप 28 दिन तक प्रतिदिन रखना होगा ।

9. आगे संक्रमण फेलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही अन्तर्गत संदिग्ध सक्रंमित की कान्टेक्ट ट्रेकिंग करते हुए समस्त संबंधितो (सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म में उल्लेखित) से अनिवार्यतः सम्पर्क किया जाकर उन्हे भी होम कोरेन्टाईन करवाने की कार्यवाही व उनकी भी प्रतिदिन सम्पर्क करते हुए सम्पर्क एवं ट्रेंकिंग की रिर्पोटिंग की जाना सुनिश्चित करे ।

10. नगर निगम / पालिका को जोनल अधिकारी द्वारा क्षैत्र का सेनेटाईजेशन किया जाना सुनिश्चित होगा ।

11. सस्पेक्टेड केस को सेक्टर मेडिकल आफिसर / आर.आर.टी. द्वारा परीक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हित कमरे में आयसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित करना है एवं समस्त परिवार फेस मास्क उपलब्ध कराते हुए हेंड हाईजीन ओर पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकाल का पालन करवाना सुनिश्चित करे ।

12. समस्त कार्यकर्ता पीपीई प्रोटोकाल का पालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

(संजय कुमार)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला–आगर मालवा

पृ. क्रमांक/एस.डब्ल्यू./2020/ 288 — आगर दिनांक 29.04.20

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा विभाग म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
3. आयुक्त संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
4. आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।
5. पुलिस अधीक्षक जिला आगर मालवा की ओर ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला आगर मालवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग आगर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. संबंधित श्री/सुश्री .... की ओर पालनार्थ ।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला–आगर मालवा

Scanned with CamScanner